डिकी मुकदमा इब्तदाई
(ओ 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत उप जिला कलक्टर टोडाभीम
पीठासीन अधिकारीः– दुर्गा प्रसाद मीना आर.ए.एस

उनवान

लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार टोडाभीम जिला करौली।

वादी

बनाम

1. किरोडी पुत्र रामधन
2. रामहरि पुत्र रामेश्वर
3. सुआ पुत्र रामधन

समस्त जातियान मीना निवासीयान नांदकला तहसील टोडाभीम जिला करौली।

प्रतिवादी गण

दावा बावत तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

मु0न0 89/2019

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबई श्री मनोज कुमार शर्मा एडवोकेट नकानिब मुदई रूबरू श्री राजकुमार सिंह राजावत एडवोकेट हमारे मिनजानिब मुदायलह पेश कर हुक्म दिया जाता है व डिकी दी जाती है। कि

अतः ग्राम नांद की आराजी ख0न0 108/0.0482 है0 का वादी लैण्ड होल्डर हसीलदार टोडाभीम को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तथा ख0न0 108/1 रकवा 0018 है0 का प्रतिवादी किरोडी पुत्र रामधन, रामहरी पुत्र रामेश्वर, सुआ पुत्र रामधन जाति मीना स्सा बराबर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है नक्शा ट्रेस निर्णय के साथ सलग्न गा। प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादी की आराजीयात के नयोग उपभोग मे किसी प्रकार दखलन्दाजी नातो स्वंय करे, नाही किसी अन्य से करावे।

निज..................मुबलिंग.........................बाबत......................खर्चा इस मुकदमे के मय शूद शरह..................फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक.............अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 05.01.2021 को जारी की गई।

(दुर्गा प्रसाद मीना)
उपखण्ड अधिकारी टोडाभीम
जिला–करौली

दई	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
टाम्प वकाल नामा			स्टाम्प अर्जी		
टाम्प वजह सबूत			म्हनताना वकील		
हनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			वावत इजराय हुक्मनामा		
वत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					

ायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

तारीख रजू:– 02.08.2019

9/19

पीठासीन अधिकारीः– दुर्गा प्रसाद मीना आर.ए.एस.

उनवान

ण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार टोडाभीम जिला करौली।

वादी

बनाम

किरोडी पुत्र रामधन
ामहरि पुत्र रामेश्वर
ुआ पुत्र रामधन
ामस्त जातियान मीना निवासीयान नांदकला तहसील टोडाभीम जिला करौली।

प्रतिवादी गण

दावा बावत तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थिति :– 1. श्री मनोज कुमार शर्मा एडवोकेट (वादी)

2.श्री राजकुमार सिंह राजावत (प्रतिवादीगण)

निर्णय **दिनांकः– 05.01.2021**

वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र ग्राम नांद की भूमि ख0न0 108/0.05 है0 का तकास्मा ने हेतु प्रस्तुत होने पर प्रतिवादीगण द्वारा जबाब पेश करने पर बाद सुनवाई दावा प्राथमिक म जाकर तहसीलदार टोडाभीम को बटवारा कमीश्नर नियुक्त किया गया। तहसीलदार से प्राप्त बटवारा स्कीम का वकील उभयपक्ष द्वारा अवलोकन कर मुताबिक बटवारा स्कीम नल डिक्री किये जाने का कथन किया। वकील उभयपक्ष की सहमति दर्ज होने पर बटवारा अनुसार दावा फाईनल डिक्री किया जाता है।

अतः ग्राम नांद की आराजी ख0न0 108/0.0482 है0 का वादी लैण्ड होल्डर तहसीलदार को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तथा ख0न0 108/1 रकवा 0.0018 है0 का केरोडी पुत्र रामधन, रामहरी पुत्र रामेश्वर, सुआ पुत्र रामधन जाति मीना हिस्सा बराबर का ाश्तकार घोषित किया जाता है नक्शा ट्रेस निर्णय के साथ सलग्न रहेगा। प्रतिवादीगण निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादी की आराजीयात के उपयोग उपभोग मे र दखलन्दाजी नातो स्वंय करे, नाही किसी अन्य से करावे। पर्चा डिक्री जारी हो।

नेर्णय आज दिनांक 05.01.2021 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

05/1/2021

(दुर्गा प्रसाद मीना)
उपखण्ड अधिकारी टोडाभीम
(दुर्गा प्रसाद मीना)
उप जिला कलक्टर
टोडाभीम जिला करौली